षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.07.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० डा० राजेश कुमार, स०वि०स० श्री सिद्धार्थ, स०वि०स० श्री अमीत कुमार, स०वि०स० श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री सरफराज आलम, स०वि०स०	"बिहार टी०ई०टी० 2017 में उत्तीर्ण 45000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है जबकि प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख 3 हजार 934 पद रिक्त है । शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 10% से ज्यादा रिक्तियाँ नहीं रखी जा सकती एवं नियमानुसार 30 बच्चों पर 01 शिक्षक होना चाहिए जबकि वर्तमान में 63 बच्चों पर 01 शिक्षक है । अतएव टी०ई०टी० उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स०	"राज्य में लोहार जाति को ST (सिडुल ट्राइ०) का आरक्षण प्राप्त है । निबंधन एक्ट में नियम है कि ST (सिडुल ट्राइ०) की जमीन को सिर्फ ST (सिडुल ट्राइ०) ही क्रय कर सकते हैं दूसरे समुदाय के लोग नहीं । जिला निबंधन / अवर निबंधन पदाधिकारी द्वारा लोहार जाति के जमीन का निबंधन बंद कर दिया गया है, जिससे इस जाति के लोगों को समय कुसमय जैसे:-बीमारी में इलाज, बच्चों की पढ़ाई हेतु इन्हें जमीन को बेचने / लीज पर रखने में कठिनाई हो रही है । अत: लोहार जाति को इस निबंधन रोक से हो रही कठिनाईयों को देखते हुए इन्हें अपनी जमीन अन्य समुदाय में बेचने का अधिकार देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/18- 9093 / वि०स०, पटना, दिनांक-24 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग एवं मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 24.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/18- 9093 / वि०स०, पटना, दिनांक-24 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 24.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।